BULANDSHAHR POLICE

दिनांक – 10 दिसम्बर, 2024 **थाना कोतवाली देहात**

लूट की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 4000/- रुपये, एक फर्जी आधार कार्ड व 02 मोबाइल फोन बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 10-12-2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा लूट की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को लूटे गये 4000/- रुपये, एक फर्जी आधार कार्ड व 02 मोबाइल फोन सहित ट्रांसपोर्ट नगर में राघव बार के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. उमेश पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सोनबूढ़ी थाना जरीफ नगर जनपद बदायूं।
2. वीरेश शर्मा पुत्र रामस्वरुप निवासी जरीफपुर गढिया थाना सहसवान जनपद बदायूं।

बरामदगी -

1. 4,000/- रुपये नकद (लूट के)
2. 01 फर्जी आधार कार्ड
3. 02 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य फरार साथियो के साथ मिलकर दिनांक 21.11.2024 की रात्रि में जनपद बुलन्दशहर के दुर्गापुरम निवासी एक व्यक्ति को लाल कुआं से बुलन्दशहर के लिए कार में बैठाकर उसके 10 हजार रुपये व मोबाइल फोन लूट कर गंगेरुआ हाइवे पर छोड़ दिया था। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 769/24 धारा 309(4)/61(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त उमेश का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 170/24 धारा 420 भादवि व 66सी/डी आईटी एक्ट थाना बहजोई जनपद सम्भल।
2. मुअसं- 17/24 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना जरीफ नगर जनपद बदायूं।
3. मुअसं- 769/24 धारा 309(4)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त वीरेश का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 769/24 धारा 309(4)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
2. उ0नि0 विपिन कुमार
3. का0 रुप सिंह, का0 राजकुमार, का0 श्याम सुन्दर

मीडिया सेल, बुलंदशहर